सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-167/2022 दिनांक- 30-मई-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- देवगांव

हत्या के प्रयास में 03, छेड़खानी में 02, वारण्ट में 01 व 151 सीआरपीसी सहित कुल 28 अभियुक्त गिरफ्तार

(1)हत्या के प्रयास में - दिनाँक 29.05.2022 को पल्हना बाजार मे स्थित दुकान पिंक्कल जन सेवा केन्द्र दुकान पर पुरानी रंजिश विवाद को लेकर गाली गलौज तथा मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 166/2022 धारा 147/307/323/504/506/379/427/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तों 1-**नीतू उर्फ नितेश पुत्र कल्लू, 2-पदुम प्रधान पुत्र जीता राजभर , 3- सुरेश पुत्र कल्लू नि0गण भोजपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ** विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

दिनांक- 30.05.2022 को निरीक्षक अपराध अभय राज मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दोनो अभियुक्तों को अभियुक्तों के घर से समय करीब 09.05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

(1)नि0अ0 अभय राज मिश्र थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(2) का0 अरविन्द थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(3) का0 नन्दलाल थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(4)म0आ0 अन्जली पाण्डेय थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(2)छेड़खानी में- दिनाँक- 29.05.2022 को वादिनी थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि खुद की शादी तय होने के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा बिरोध करने छेडखानी करते हुए कपडे फाड़ दिया तथा मना करने पर गाली गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 164/2022 धारा 354ख/504/506 भादवि बनाम राजन चौहान पुत्र हरिश्चन्द चौहान नि0 रेतवाचन्द्रभानपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ व अमित चौहान पुत्र रामविलास चौहान निवासी भदैवरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर के पंजीकृत किया गया।

दिनांक- 30.05.2022 को उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1-**राजन चौहान पुत्र हरिश्चन्द चौहान नि0 रेतवाचन्द्रभानपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़, 2-अमित चौहान पुत्र रामविलास चौहान निवासी भदैवरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर** को रेतवा तिराहे के पास से समय करीब 09.10 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

(1)उ0नि0 अनुपम जायसवाल थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

(2)हे0का0 राजबहादुर सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

(3)का0 मनीष जायसवाल थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

(4)का0 कमलेश कुमार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

(3) एक नफर वारण्टी अभियुक्ता **उर्मिला देवी पत्नी बब्बू नट नि0 रामपुरकंजहित** थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ को ग्राम कंजहित से समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

(4) दिनांक 30.05.2022 को अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआऱपीसी में 22 नफर अभियुक्त

थाना- जहानागंज

मा0 न्यायालय नें संतोष राजभर को आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए सुनाई सजा

प्रभारी निरीक्षक जहानागंज प्रमेन्द्र कुमार सिंह के प्रर्यवेक्षण मे न्यायालय पैरोकार का0 रामजी गुप्ता को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 409/10 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम सन्तोष राजभर पुत्र अच्छेलाल राजभर ग्राम भटगावा थाना जहानांगज आजमगढ़ एक अदद कट्टा 12 बोर व एक दद कारतूस जिन्दा 12 बोर दिनांक 19.04.10 को बरामद कर पंजीकृत होकर बाद विवेचना दिनांक 07.06.2010 को चार्जशीट मा0 न्यायालय दाखिल कर दिया गया था। मा0 न्यायालय मे पुलिस द्वारा पर्याप्त साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत कर

व पैरवी कर अभियुक्त सन्तोष राजभर पुत्र अच्छेलाल राजभर ग्राम भटगावा थाना जहानांगज आजमगढ़ को मा0 न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी।

थाना सिधारी

चोरी करने वाला अभियुक्त चोरी की सामान के साथ गिरफ्तार

दिनांक 30.05.2022 को वादी श्री विनोद चौहान पुत्र शरत चौहान सा0 सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ हाल पता कृषि विभाग कालोनी सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि बाजार से आते समय 09.15 बजे सुबह देखा कि मेरे घर पर पिछले दरवाजे पर एक ब्यक्ति झोले में T.V. लेकर निकला जिसे देखर मैने शोर मचाया तो वह भागा जिसे मैने पडोसी राहुल पुत्र देवेन्दर कुमार पाठक के साथ दौडाकर वही T.V. सहित पकड लिया मेरी LED TV SONEX X MODIEL N0. L R 3204 है। पकडे गये ब्यक्ति ने अपना नाम मो0 अकबर पुत्र मो0 सत्तार नि0 छोटा जमालपुर (बिन्दिया अस्पताल वाली गली) थाना सिधारी जनपद आजमगढ उम्र करीब 26 वर्ष बताया जिसे चुराई गई T.V. के साथ थाना लेकर आया हुँ , के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 221/2022 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह को सुपुर्द की गयी तथा विवेचना द्वारा माल मसरूका को कब्जा पुलिस व अभियुक्त मो0 अकबर पुत्र सत्तार सा0 छोटा जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0 221/2022 धारा 380/411 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 221/2022 धारा 380/411 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

2.मु0अ0सं0 298/21 धारा 380/411 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ।

बरामदगी

1. एक अदद LED TV SONEX X MODIEL N0. L R 3204

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.व0उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।